प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–प्रतापगढ़ ।

5056

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / प्रतापगढ़ / 2019–20 / दिनांकः 9 .09.2019

विषयः– राज्य स्तरीय दल द्वारा 26 से 28 अगस्त 2019 तक किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2019-20/18/2867-2 दिनांक 01-07-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 26 से 28 अगस्त 2019 तक जनपद प्रतापगढ़ की चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पवर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भौतिक एवं वित्तीय भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः **पर्यवेक्षण आख्या–**

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मकपर्यवेक्षण / प्रतापगढ़ / 2019–20 / तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, प्रयागराज मण्डल।
2. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक / अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
3. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, प्रयागराज मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, प्रतापगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 वेद प्रकाश)
मण्डलीय नोडल–प्रयागराज

जनपद प्रतापगढ़ की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण रिपोर्ट

राज्य स्तरीय टीम

1. मनीष कुमार सोनी, परामर्शदाता, परिवार नियोजन।
2. सत्य प्रकाश, कार्यक्रम समन्वयक, आर0आई0।

जनपद स्तरीय टीम

3. आकाश दीप शुक्ला, जिला समन्वयक, अर्बन हेल्थ।
4. अरविन्द कुमार, जिला क्वालिटी कन्सल्टेन्ट।
5. सुनील वर्मा, जिला परिवार नियोजन विशेषज्ञ, टी0एस0यू0।

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयॉ

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –लालगंज।
2. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– अजीत नगर।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –सण्डवा चन्द्रिका।
4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –रानीगंज।
5. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र, ग्राम– दरियाकोर्ट, उपकेन्द्र –लक्षीपुर।
6. ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस सत्र, ग्राम– अवधानपुर, उपकेन्द्र –भोजेमउ।

मिशन निदेशक, एन0एच0एम0 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में उपरोक्त टीम द्वारा दिनांक 26–28 अगस्त 2019 के मध्य जनपद प्रतापगढ़ का भ्रमण कर एल–3, एल–2 व एल–1 स्तर की स्वास्थ्य इकाईयों, नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक गतिविधियों का अवलोकन किया गया। भ्रमण के उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से सम्पर्क कर फीडबैक भी किया गया। भ्रमण रिपोर्ट निम्नानुसार है–

➢ **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –लालगंज,**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसरः–		
परिसर के अन्दर जगह–जगह बारिश का पानी जमा था। पूछने पर चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि हाई–वे के निर्माण उपरांत चिकित्सालय परिसर का ग्राउण्ड लेवल सड़क से लगभग 3 फीट नीचे होने के कारण ऐसी स्थिति बन रही हैं।	–	मुख्य चिकित्साधिकारी व JE
परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी, किन्तु शिकायते नहीं पायी गयीं। शिकायत निवारण कमेटी का गठन रिकार्ड भी देखने को नही मिला।	शिकायत निवारण कमेटी का गठन व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
हेल्पडेस्क की व्यवस्था नहीं थीं।	हेल्पडेस्क की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
ओ0पी0डी0 कक्ष में कार्यरत चिकित्सक के पास वजन मशीन एव बी0पी0 मशीन उपलब्ध नही था।	स्टेथो, वजन मशीन एव बी0पी0 मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
परिसर में साफ–सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु इमरजेन्सी की स्थिति में चिकित्सालय परिसर में तैनात किसी भी कर्मी को इसके प्रयोग की जानकारी नही थी।	भ्रमण दल द्वारा Fire extinguisher के प्रयोग हेतु Mock drill कराने हेतु निर्देश दिये गये।	चिकित्सा अधीक्षक
एक्स–रे की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु टेक्नीशियन के पास टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन नही है।	टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	GM-Procurement व चिकित्सा अधीक्षक
आई0ई0सी0ः–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु पर्याप्त नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
बायोमेडिकल वेस्ट–		
चिकित्सालय में Bins उपलब्ध थीं। डस्ट बिन में अलग–अलग रंग की पॉलीथिन थी। प्रसव कक्ष, ओ0टी0 आकस्मिक कक्ष एवं लैब के अन्दर पी.ई.पी. किट, 03 प्रकार के कलर कोडेड डस्टबीन, ब्लड स्पिल किट, पंक्चर प्रूफ कन्टेनर उपलब्ध थे।	Colour Coded Bins की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। स्वास्थ्य केन्द्र को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।	सम्बंधित स्टाफ एवं चिकित्सा अधीक्षक

किसी भी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत बचाव उपकरण धारण नहीं किया गया था। बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार नही भरे जा रहे थे। स्वास्थ्य केन्द्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नही है। स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकतर कर्मीयों को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट की समुचित जानकारी नही है।	सम्बंधित स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया। बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से आयोजित कराने हेतु सुझाव दिया गया।	
मातृत्व स्वास्थ्यः–		
प्रसव कक्षः– पी0पी0एच0के प्रबन्धन के बारे में स्टाफ नर्सों को जानकारी नहीं थी। प्रसव कक्ष में पी0पी0एच0 किट की व्यवस्था नही थी। रजिस्टर के अन्त में संक्षिप्त जानकारी प्रपत्र के बारे में उपस्थित स्टाफ नर्सो को भी उचित जानकारी नहीं थी। प्रसव कक्ष में समुचित प्रोटोकॉल प्रदर्शित नही था। हाई–रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं की जा रही थीं। प्रसव कक्ष के अन्दर, प्रसव कक्ष के दरवाजे पर एवं प्रसव कक्ष के सामने समुचित सफाई नही थी।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व एस0बी0ए0 प्रोटोकॉल पोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया। लेबर रूम में पी0पी0एच0 किट की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक माह के अन्त में माह की रिपोर्ट का अंकन करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही जानकारियाँ प्रदान की गईं। लेबर रूम स्टाफ को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के विषय में बताया गया और इसके रिपोर्टिंग से क्या लाभ है उसके विषय में बताया गया एवं हाईरिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित एवं उनका अभिलेखीकरण करने हेतु कहा गया।	लेबर रूम स्टाफ
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड रखने की जानकारी दी गई।	लेबर रूम स्टाफ
जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड समुचित प्रदर्शित नही था।	जे0एस0एस0के0 डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की साईन बोर्ड समुचित प्रदर्शित कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
बी.एच.टी. / केसशीट पूरी नहीं भरी जा रही थी।	तत्काल बी.एच.टी. के सभी कॉलमों को समझा कर उनको पूर्ण रूप से भरने हेतु कहा गया ताकि भविष्य में यदि मरीज को कुछ समस्या होती है तो उसे बी. एच.टी. द्वारा सहायता दी जा सकती हैं।	लेबर रूम स्टाफ
पार्टोग्राफ का प्रयोग नही किया जा रहा था।	पार्टोग्राफ का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।	लेबर रूम स्टाफ
प्रसव कराने वाले स्टाफ एस0बी0ए0 में प्रशिक्षित नही थे	प्रसव एस0बी0ए0 प्रशिक्षत ए0एन0एम0 द्वारा कराया जाये।	
बाल स्वास्थ्य व कोल्ड चेन रूम–		
टीका करण कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फ्रिज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई। लागबुक मेण्टेन थीं। विटामिन–Kउपलब्ध था। एच0बी0एन0सी0 कार्यक्रम के अर्न्तगत लो–वर्थ बेबी का फालोअप नही किया जा रहा है। एन0बी0एस0यू0 कार्नर में 01 रेडियेन्ट वार्मर व 01 फोटोथेरेपी मशीन लगी थी जो क्रियाशील थी।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। भ्रमण दल द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे वच्चो का एच.बी0एन0सी0 कार्यक्रम के माध्यम से आशा द्वारा 7 फालोअप कराना सुनिश्चित किया जाये।	सम्बन्धित स्टाफ / चिकित्सा अधीक्षक एवं BCPM
कोल्ड चेन रूम व्यवस्थित था प्रोटोकाल पोस्टर उपलब्ध थे किन्तु उनकी प्रिन्टिंग स्पष्ट नही थीं। ए0वी0डी0 रूट चार्ट उपलब्ध नही था तथा ए0वी0डी0 हेतु रू0 75.00 की दर से भुगतान किया जा रहा था। एक आई0एल0आर0 का स्टेबलाइजर खराब था। पिछले 2 दिनों से प्रसवोपरान्त 9 बच्चों को हेपेटाईटिस–बी का बर्थ डोज नही दिया जा रहा था। वेक्सीन कैरियर में दिनांक– 23/08/2019 तथा समय 10.30 पूर्वाहन इंगित की हुई बी0सी0जी की वायल पायी गयी। नियमित टीकाकरण से सम्बधित निस्तारण पिट उपलब्ध नही थी।	प्रोटोकाल पोस्टर की प्रिन्टिंग स्पष्ट रूप से इंगित करनें के लिये निर्देशित किया गया। ए0वी0डी0 रूट चार्ट तैयार कराया गया तथा नियमित टीकाकरण के दिशानिर्देश 2018–19 से अवगत कराते हुए ए0वी0डी0 हेतु रू0 90.00 की दर से भुगतान किये जाने का सुझाव दिया गया । भ्रमण दल द्वारा मौके पर ही खराब स्टेबलाइजर को सही कराने हेतु निर्देशित किया गया। चिकित्सा अधीक्षक को इसकी सूचना दी गयी एवं सम्बधित स्टाफ को निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही होने पर सम्बधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। चिकित्सा अधीक्षक को एक माह के अन्दर निस्तारण पिट का निमार्ण करवाने के लिये प्रकिया प्रारम्भ करनें हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक / BAM एवं सम्बंधित स्टाफ
परिवार नियोजन–		
प्रिन्टेड आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन रजिस्टर	प्रिन्टेड आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन रजिस्टर	जिला कार्यक्रम प्रबंधक

उपलब्ध नही था।	उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	
कण्डोम बाक्स लगा था। किन्तु कण्डोम भरे हुए नहीं पाये गये।	कण्डोम बाक्स प्रतिदिन भरने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप के रिकार्ड सही प्रकार से मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं। फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन कई जगह नहीं भरा था।	पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप का फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
अन्तरा स्टॉक आउट है।	भ्रमण दल द्वारा अन्य स्वास्थ्य इकाई से समन्वय कर अन्तरा की उपलब्धता सुनिश्चित करानें हेतु सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट व चिकित्सा अधीक्षक एवं जिला प0क0 नोडल
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन हेतु सेवाप्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन व क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नियमित रुप से नहीं हो रहा है।	सेवाप्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन व क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नियमित रुप से किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक व BAM
नसबन्दी सेवाओं हेतु फिक्स डे आउटरीच सर्विसेज का आयोजन किया जा रहा है। एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 का उपयोग किया जा रहा हैं।	–	–
नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारुप सहमति पत्र व मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि समस्त प्रपत्र उपलब्ध थे। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट पूर्ण भरा हुआ नही पाया गया।	समस्त नवीन प्रपत्र पर दस्तावेजीकरण की जानकारी दी गयी। सहमति पत्र के साथ भरे हुए मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरान्त प्रमाण–पत्र की फोटोकापी संलग्न की जाये तथा फालोअप कार्ड अवश्य दिये जायें।	चिकित्सा अधीक्षक
आर0के0एस0के0 कार्यक्रम		
किशोरी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत निशुल्क सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण नही किया जा रहा है। प्राप्त फिडबैक के अनुसार सेनेटरी नैपकीन को ए0बी0एस0ए0 को प्राप्त करा दिया जाता है एवं उन्ही के द्वारा वितरण भी किया जाता है।	सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
आर.बी.एस.के.टीमः– सेशन साइट – प्राथमिक स्कूल, पण्डरी।		
साइट पर कुल 64 बच्चे पंजीकृत है जिनमें से 38 बच्चे मौके पर उपस्थित थे जिनका टीम द्वारा स्कीनिंग किया गया। उक्त 38 बच्चे में से 03 बच्चे रेफर किये गये। आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा मुवमेन्ट रजिस्टर नही भरा जा रहा था। सभी उपकरण उपलब्ध थे। माइक्रोप्लान एवं रजिस्टर उपलब्ध था व भरे जा रहे थे। आर0बी0एस0के0 दल के वाहन में जी0पी0एस0 लगा हुआ था एवं टैक्सी परमिट भी था।	मूवमेन्ट रजिस्टर भराना सुनिश्चित की जाये।	बी0पी0एम0 / चिकित्सा अधीक्षक
आर.बी.एस.के.टीमः– सेशन साइट – नगरीय प्राथमिक स्कूल, गोड़वा।		
साइट पर कुल 55 बच्चे पंजीकृत है जिनमें से 40 बच्चे मौके पर उपस्थित थे जिनका टीम द्वारा स्कीनिंग किया गया। उक्त 40 बच्चे में से 05 बच्चे रेफर किये गये। आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा मुवमेन्ट रजिस्टर नही भरा जा रहा था। सभी उपकरण उपलब्ध थे। माइक्रोप्लान एवं रजिस्टर उपलब्ध था व भरे जा रहे थे। आर0बी0एस0के0 दल के वाहन में जी0पी0एस0 लगा हुआ था एवं टैक्सी परमिट भी था।	मूवमेन्ट रजिस्टर भराना सुनिश्चित की जाये।	बी0पी0एम0 / चिकित्सा अधीक्षक / Nodal RBSK
कम्युनिटी प्रोसेस		
कुल 158 आशाओं के सापेक्ष कुल 152 आशाओं का चयन किया गया है। तीसरे चरण के माड्यूल 6–7 का प्रशिक्षण सीर्फ 128 आशाओं को ही प्राप्त है।	शेष 06 आशाओं का चयन शीघ्र सुनिश्चित की जाये। आर0के0एस0 की बैठक प्रत्येक माह करायी जाये।	चिकित्सा अधीक्षक / बी0सी0पी0एम0 / डी0सी0पी0एम0

वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर0के0एस0 की मात्र 01 बैठक ही आयोजित करायी गयी है। विगत माह प्रति आशा औसत प्रति माह भुगतान रू 4400/– है। आशा डायरी, आशा संगनी रजिस्टर, पेमेन्ट बाउचर सभी आशाओं को उपलब्ध करा दिये गये है। कुल 79 वी0एच0एस0एन0सी0 खाता के सापेक्ष 60 खाते ही खोले गये है।	शेष 29 वी0एच0एस0एन0सी0 खाता शीघ्र खोला जाना सुनिश्चित किया जाये।	
एच0एम0आई0एस0		
एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर अकिंत की जा रही ऑकड़ों में कमिया पायी गयी जैसे कि सीवीयर एनीमिया के ट्रिटमेन्ट के कालम में संख्या 12 दर्शायी गयी थी परन्तु गर्भवती महिलाओं जिनका कि हिमोग्लोबीन 7 से कम है वहा संख्या 21 दर्शायी गयी थी।	डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गयी व एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के सभी सुचकांको पर हैन्ड होल्डिंग की गयी एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने के निर्देश दिये गये साथ ही साथ इनको सुधारने के निर्देश भी दिये गये।	डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्य
वित्तीय बिन्दु		
जे0एस0वाई0 के तहत कुल 78 बैक लाग है।	JSY लम्बित भुगतानों की कारण सहित सूची तैयार किया जाये तथा भुगतान हेतु फॉलोअप किया जायें।	चिकित्सा अधीक्षक
नसबन्दी में कुल 51 केस के भुगतान लम्बित थें।	लम्बित भुगतानों की कारण सहित सूची तैयार किया जाये तथा भुगतान हेतु फॉलोअप किया जायें।	चिकित्सा अधीक्षक
वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल रू0 942536/– धनराशि कमिट करायी गयी हैं, जिसके सापेक्ष कुल रू0 887720/– ही व्यय किया गया है।	शेष धनराशि का व्यय कराना सुनिश्चित किया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
नोट– भ्रमण के उपरान्त सी0एच0सी0 की टीम के साथ जिसमे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, चीफ फार्मासिस्ट, बी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम0 एवं बी0ए0एम0 के साथ बैठक की गयी एवं आगामी तीन माह की कार्ययोजना एवं कार्यक्रमों पर चर्चा की गयी।		

संलग्न– चेकलिस्ट।

➢ **आशाओं के साथ बैठक–**

- सण्डवा, चन्द्रिका में चल रही आशा बैठक में प्रतिभाग कर एन0एच0एम0 के समस्त योजनाओं पर आशाओं को जानकारी प्रदान की गई।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम की उपलब्धि में वृद्धि हेतु समस्त आशाओं की सक्रिय भागीदारी का महत्ता पर चर्चा करते हुए प्रत्येक आउटरीच कैम्प में केस लाने का सुझाव दिया गया।
- बैठक में प्रतिभागी आशाओं के साथ आशावार परिवार नियोजन.बाल स्वास्थ्य.एवं मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धि पर भी समीक्षा की गयी

➢ **नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र– अजीत नगर–**

1. इस केन्द्र पर प्रसव की सुविधा उपलब्ध है, अप्रैल 2019 से आज दिनांक 26.08.2019 तक कुल 26 प्रसव कराये गये है।
2. केन्द्र में ओ0पी0डी0 लोड औसतन 35 प्रतिदिन है।
3. **केन्द्र पर किसी भी चिकित्सक की तैनाती नही की गयी है, ओ0पी0डी0 कार्य फार्मासिस्ट द्वारा किया जा रहा हैं।**
4. केन्द्र पर 06 ए0एन0एम0, 03 स्टाफ नर्स, 01 फार्मासिस्ट तथा 03 सफाई कर्मी की तैनाती की गयी है।
5. इस केन्द्र को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के लिये भी चिन्हित किया गया है।
6. आर0के0एस0 का गठन हो गया है।
7. कुल 14 शहरी आशाओं में से 04 कार्यरत है।
8. कुल 04 महिला आरोग्य समिति का गठन हो गया है।
9. आशा किट का क्रय किया जा चुका है।
10. चिकित्सालय में Colour Coded Bins की व्यवस्था थी।
11. आई0ई0सी0 उपलब्ध थे। परन्तु समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 पर्याप्त नहीं थे।
12. केन्द्र में शिशु एवं वयरूक के वजन मापने हेतु मशीन उपलब्ध थी।

➢ **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– सण्डवा, चन्द्रिका–**

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसरः–		
परिसर मे जगह जगह पान की पीक के निशान पाये गये थे तथा परिसर मे पीने के पानी की जगह अत्यन्त गंदी एवं दयनीय थी।	क्लीनिंग एजेन्सी सुपरवाईजर को निर्देशित किया गया कि निर्धारित चेक लिस्ट का उपयोग कर सफाई एजेन्सी के कर्मिको से शिफ्ट में कार्य लेना सुनिश्चित करें। सप्ताह में एक बार क्लीनिंग कराना सुनिशित करें। एक सप्ताह की समयावधि के अन्दर स्थिति में सुधार के लिये निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक

पीनें के पानी की जगह पर उपस्थित वाटर कूलर एवं आस पास गन्दगी जमी थी।	पीनें के पानी की जगह पर उपस्थित वाटर कूलर एवं आस पास जमी गन्दगी को साफ कराने के लिये निर्देशित किया गया था। परन्तु साफ सफाई की स्थिति में कोई सुधार नही हुआ। एक सप्ताह की समयावधि के अन्दर स्थिति में सुधार के लिये निर्देशित किया गया।	
परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी, किन्तु शिकायते नहीं पायी गयीं। शिकायत निवारण कमेटी का गठन रिकार्ड भी देखने को नही मिला।	शिकायत निवारण कमेटी का गठन व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
हेल्पडेस्क की व्यवस्था नहीं थीं।	हेल्पडेस्क की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
ओ0पी0डी0 कक्ष में कार्यरत चिकित्सक के पास वजन मशीन एव बी0पी0 मशीन उपलब्ध नही था।	स्टेथो, वजन मशीन एव बी0पी0 मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
परिसर में साफ–सफाई व्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु इमरजेन्सी की स्थिति में चिकित्सालय परिसर में तैनात किसी भी कर्मी को इसके प्रयोग की जानकारी नही थी।	भ्रमण दल द्वारा Fire extinguisher के प्रयोग हेतु Mock drill कराने हेतु निर्देश दिये गये।	चिकित्सा अधीक्षक
एक्स–रे की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु टेक्नीशियन के पास टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन नही है।	टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक व GM-Procurement
आई0ई0सी0:–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु पर्याप्त नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
पंजीकरण कक्ष के बाहर गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले नहीं था।	गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क पंजीकरण का डिस्प्ले करने व गर्भवती महिलाओं से पंजीकरण शुल्क न लिये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
जे0एस0वाई0 वार्ड में परिवार नियोजन से सम्बंधित आई0ई0सी0 उपलब्ध नही था।	जे0एस0वाई0 वार्ड में परिवार नियोजन से सम्बंधित आई0ई0सी0 की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	
बायोमेडिकल वेस्ट–		
चिकित्सालय में Bins उपलब्ध थीं। डस्ट बिन में अलग–अलग रंग की पॉलीथिन थी। प्रसव कक्ष, आकस्मिक कक्ष एवं लैब के अन्दर पी.ई.पी. किट, 03 प्रकार के कलर कोडेड डस्टबीन, ब्लड स्पिल किट, पंक्चर प्रूफ कन्टेनर उपलब्ध थे। किसी भी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत बचाव उपकरण धारण नहीं किया गया था। बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार नही भरे जा रहे थे। स्वास्थ्य केन्द्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नही है। स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकतर कर्मीयों को बायो मेडिकल बेस्ट मैनेजमेन्ट की समुचित जानकारी नही है।	Colour Coded Bins की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। स्वास्थ्य केन्द्र को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सम्बंधित स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया। बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से आयोजित कराने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बंधित स्टाफ एवं चिकित्सा अधीक्षक
मातृत्व स्वास्थ्य:–		
प्रसव कक्ष:– पी0पी0एच0के प्रबन्धन के बारे में स्टाफ नर्सों को जानकारी नहीं थी। रजिस्टर के अन्त में संक्षिप्त जानकारी प्रपत्र के बारे में उपस्थित स्टाफ नर्सो को भी उचित जानकारी नहीं थी। प्रसव कक्ष में समुचित प्रोटोकॉल प्रदर्शित नही था। हाई–रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं की जा रही थीं। प्रसव कक्ष के अन्दर, प्रसव कक्ष के दरवाजे पर एवं प्रसव कक्ष के सामने समुचित सफाई नही थी।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व एस0बी0ए0 प्रोटोकॉल पोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक माह के अन्त में माह की रिपोर्ट का अंकन करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही जानकारियॉ प्रदान की गईं। लेबर रूम स्टाफ को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के विषय में बताया गया और इसके रिपोर्टिंग से क्या लाभ है उसके विषय में बताया गया एवं हाईरिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित एवं उनका अभिलेखीकरण करने हेतु कहा गया।	लेबर रूम स्टाफ
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड रखने की जानकारी दी गई।	लेबर रूम स्टाफ
जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए	जे0एस0एस0के0 डाइट के अन्तर्गत लाभार्थियों	चिकित्सा अधीक्षक

जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड समुचित प्रदर्शित नही था।	को दिए जाने वाले भोजन की साईन बोर्ड समुचित प्रदर्शित कराने का सुझाव दिया गया।	
बी.एच.टी./केसशीट पूरी नहीं भरी जा रही थी।	तत्काल बी.एच.टी. के सभी कॉलमों को समझा कर उनको पूर्ण रूप से भरने हेतु कहा गया ताकि भविष्य में यदि मरीज को कुछ समस्या होती है तो उसे बी.एच.टी. द्वारा सहायता दी जा सकती हैं।	लेबर रूम स्टाफ
पार्टोग्राफ का प्रयोग नही किया जा रहा था।	पार्टोग्राफ का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।	लेबर रूम स्टाफ
प्रसव कराने वाले स्टाफ एस0बी0ए0 में प्रशिक्षित नही थे।	प्रसव कार्य एस0बी0ए0 प्रशिक्षत ए0एन0एम0 द्वारा कराया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव कक्ष में रखे ऑक्सीजन सिलेण्डर में ऑक्सीजन नही था।	स्टोर से ऑक्सीजन सिलेण्डर निकलवाकर, प्रसव कक्ष में रखवाया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव कक्ष में रखें फुट स्टेप पर जंग लगा हुआ था।	भ्रमण दल द्वारा निर्देशित किया गया कि फुट स्टेप को पेण्ट कराया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव कक्ष में रखा हुआ सक्शन मशीन भी खराब था।	सक्शन मशीन की मरम्मत कराने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
ब्लीचिंग पाउडर घोल का प्रयोग किया जा रहा था।	—	—
प्रसव कक्ष में पिछले दो माह से रनिंग वाटर की आपूर्ति नही हो रही है।	रनिंग वाटर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
प्रसव कक्ष में पल्स ऑक्सीमीटर अनुपलब्ध था।	पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
बाल स्वास्थ्य व कोल्ड चेन रूमः–		
टीका करण कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फ्रिज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई। लागबुक मेण्टेन थीं। विटामिन–K उपलब्ध था। एच0बी0एन0सी0 कार्यक्रम के अर्न्तगत लो–वर्थ बेबी का फालोअप नही किया जा रहा है। प्रसव कक्ष में स्थित न्यू बॉर्न कार्नर में 02 रेडियेन्ट वार्मर था, जिसमें एक कार्यरत नही था। सक्शन मशीन भी खराब था।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। भ्रमण दल द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे वच्चो का एच.बी0एन0सी0 कार्यक्रम के माध्यम से आशा द्वारा 7 फालोअप कराना सुनिश्चित किया जाये। रेडियेन्ट वार्मर की मरम्मत कराने हेतु निर्देशित किया गया।	सम्बन्धित स्टाफ/ चिकित्सा अधीक्षक BCPM एवं GM-Procurement
सत्र के आयोजन के उपरान्त Logistic (Syringe इत्यादि) वापस ना आने पर भी Stock Register में उक्त Logistic की वापसी की विवरण भरा जा रहा है। लाल एवं काली पालीथीन का उपयोग कोल्डचेन से Logistic, Syringe, Dropper इत्यादि सत्र स्थल पर ले जाने के लिये किया जा रहा था। ए0वी0डी0 रूट चार्ट उपलब्ध नही था तथा ए0वी0डी0 हेतु रू0 75.00 की दर से भुगतान किया जा रहा था। निस्तारण पिट मानक के अनुसार नही बनायी गयी थी परन्तु सत्र स्थल से शार्प मैटिरियल वापस नही लाये जा रहें थे एवं उनका निस्तारण ब्लीचिंग से नही किया जा रहा था।	निर्देशित किया गया कि भविष्य में इस तरह की प्रकिया न की जाय। शार्प मैटिरियल सत्र से वापस लाने एवं उनका निस्तारण पिट में करनें के निर्देश दिये गये। लाल एवं काली पालीथीन का उपयोग के बारे में बताया गया। ए0वी0डी0 रूट चार्ट तैयार कराने के निर्देश दिये गये। गया तथा नियमित टीकाकरण के दिशानिर्देश 2018–19 से अवगत कराते हुए ए0वी0डी0 हेतु रू0 90.00 की दर से भुगतान किये जानें का सुझाव दिया गया । शाप मैटिरियल सत्र से वापस लाने एवं उनका निस्तारण पिट में करनें के निर्देश दिये गये। लाल एवं काली पालीथीन का उपयोग के बारे में बताया गया।	चिकित्सा अधीक्षक/BAM एवं सम्बंधित स्टाफ
परिवार नियोजन–		
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 में 02 स्टाफ नर्स प्रशिक्षित है, परन्तु उपकरण के अनुपलब्धता के कारण सेवा नही दी जा रही हैं	तत्काल पी0पी0आई0यू0सी0डी0 उपकरण क्रय किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
कण्डोम बाक्स लगा था। किन्तु कण्डोम भरे हुए नहीं पाये गये।	कण्डोम बाक्स प्रतिदिन भरने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप के रिकार्ड सही प्रकार से मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं। फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन कई जगह नहीं भरा था।	पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप का फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
अन्तरा स्टॉक आउट है।	भ्रमण दल द्वारा अन्य स्वास्थ्य इकाई से समन्वय कर अन्तरा की उपलब्धता सुनिश्चित करानें हेतु सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट व चिकित्सा अधीक्षक एवं जिला प0क0 नोडल
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन हेतु	सेवाप्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रदान की जाने	चिकित्सा अधीक्षक

सेवाप्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन व क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नियमित रुप से नहीं हो रहा है।	वाली प्रोत्साहन व क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नियमित रुप से किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	
नसबन्दी सेवाओं हेतु फिक्स डे आउटरीच सर्विसेज का आयोजन किया जा रहा है। एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 का उपयोग किया जा रहा हैं।		चिकित्सा अधीक्षक
नसबन्दी रिकार्ड अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि नवीन प्रारुप सहमति पत्र व मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट आदि समस्त प्रपत्र उपलब्ध थे। मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट पूर्ण भरा हुआ नही पाया गया।	समस्त नवीन प्रपत्र पर दस्तावेजीकरण की जानकारी दी गयी। सहमति पत्र के साथ भरे हुए मेडिकल रिकार्ड चेकलिस्ट व प्रमाण–पत्र दिये जाने के उपरान्त प्रमाण–पत्र की फोटोकापी संलग्न की जाये तथा फालोअप कार्ड अवश्य दिये जायें।	चिकित्सा अधीक्षक
आर0के0एस0के0 कार्यकम		
किशोरी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत निशुल्क सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण नही किया जा रहा है। प्राप्त फिडबैक के अनुसार सेनेटरी नैपकीन को ए0बी0एस0ए0 को प्राप्त करा दिया जाता है एवं उन्ही के द्वारा वितरण भी किया जाता है।	सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
आर.बी.एस.के.टीमः– सेशन साइट – प्राथमिक स्कूल, कछवा बाजार।		
साइट पर कुल 36 बच्चे पंजीकृत है जिनमें से 11 बच्चे मौके पर उपस्थित थे जिनका टीम द्वारा स्कीनिंग किया गया। उक्त 11 बच्चे में से 01 बच्चा रेफर किया गया। आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा मुवमेन्ट रजिस्टर नही भरा जा रहा था। सभी उपकरण उपलब्ध थे। माइकोप्लान एवं रजिस्टर उपलब्ध था व भरे जा रहे थे। आर0बी0एस0के0 दल के वाहन में जी0पी0एस0 लगा हुआ था एवं टैक्सी परमिट भी था।	मूवमेन्ट रजिस्टर भराना सुनिश्चित की जाये।	बी0पी0एम0 / चिकित्सा अधीक्षक
आर.बी.एस.के.टीमः– सेशन साइट – प्राथमिक स्कूल, उमरी, रामपुर।		
साइट पर कुल 29 बच्चे पंजीकृत है जिनमें से 21 बच्चे मौके पर उपस्थित थे जिनका टीम द्वारा स्कीनिंग किया गया। आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा मुवमेन्ट रजिस्टर नही भरा जा रहा था। सभी उपकरण उपलब्ध थे। माइकोप्लान एवं रजिस्टर उपलब्ध था व भरे जा रहे थे। आर0बी0एस0के0 दल के वाहन में जी0पी0एस0 लगा हुआ था एवं टैक्सी परमिट भी था।	मूवमेन्ट रजिस्टर भराना सुनिश्चित की जाये। छूटे हुये बच्चों को गृह भ्रमण कर स्कीनिंग सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
कम्युनिटी प्रोसेस		
कुल 186 आशाओं के सापेक्ष कुल 185 आशाओं का चयन किया गया है। तीसरे चरण के माड्यूल 6–7 का प्रशिक्षण सीर्फ 159 आशाओं को ही प्राप्त है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर0के0एस0 की मात्र 01 बैठक ही आयोजित करायी गयी है। विगत माह प्रति आशा औसत प्रति माह भुगतान रू 3600 / – है। आशा डायरी, आशा संगनी रजिस्टर, पेमेन्ट बाउचर सभी आशाओं को उपलब्ध करा दिये गये है। वी0एच0एस0एन0सी0 खाता 95 के सापेक्ष 91 ही खोले गये है।	शेष आशाओं का चयन शीघ्र सुनिश्चित की जाये। आर0के0एस0 की बैठक प्रत्येक माह करायी जाये। शेष वी0एच0एस0एन0सी0 खाता में आशाओं की शीघ्र खाता खोला जानासुनिश्चित किया जाये।	बी0सी0 पी0एम0 / डी0सी0पी0एम0
एच0एम0आई0एस0		
डाटा वैलिडेशन समिति की बैठक समुचित नही हो रही हैं।	डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गयी व एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के सभी सुचकांको पर हैन्ड होल्डिंग की गयी।	डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्य

नोट– भ्रमण के उपरान्त सी0एच0सी0 की टीम के साथ जिसमे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, चीफ फार्मासिस्ट, बी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम0 एवं बी0ए0एम0 के साथ बैठक की गयी एवं आगामी तीन माह की कार्ययोजना एवं कार्यक्रमों पर चर्चा की गयी।

संलग्न– चेकलिस्ट।

➢ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र– रानीगंज।

अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
चिकित्सालय परिसरः–		
परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी, किन्तु शिकायते नहीं पायी गयीं। शिकायत निवारण कमेटी का गठन रिकार्ड भी देखने को नही मिला।	शिकायत निवारण कमेटी का गठन व रिकार्ड मेण्टेन करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
हेल्पडेस्क की ब्यवस्था नहीं थीं।	हेल्पडेस्क की ब्यवस्था करने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
बयोमेट्रिक अटेण्डेन्स सिस्टम लगा हुआ है, परन्तु कार्यरत नही हैं		चिकित्सा अधीक्षक
ओ0पी0डी0 कक्ष में कार्यरत चिकित्सक के पास वजन मशीन एव बी0पी0 मशीन उपलब्ध नही था।	स्टेथो, वजन मशीन एव बी0पी0 मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
परिसर में साफ–सफाई ब्यवस्था संतोषजनक पायी गयी।	नियमित रुप से परिसर की साफ–सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
एक्स–रे की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु टेक्नीशियन के पास टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन नही है।	टी0एल0डी0 बैच एवं लेड एप्रेन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
आई0ई0सी0ः–		
परिसर में भ्रमण के दौरान समस्त कार्यक्रमों की विभिन्न आई0ई0सी0 उपलब्ध थी। किन्तु पर्याप्त नहीं थी।	विभिन्न कार्यक्रमों की अपडेटेड आई0ई0सी0 जनपद स्तर से प्राप्त कर यथास्थान डिस्प्ले कराये जाने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
बायोमेडिकल वेस्ट–		
चिकित्सालय में Bins उपलब्ध थीं। डस्ट बिन में अलग–अलग रंग की पॉलीथिन थी। प्रसव कक्ष, आकस्मिक कक्ष एवं लैब के अन्दर पी.ई.पी. किट, 03 प्रकार के कलर कोडेड डस्टबीन, ब्लड स्पिल किट, पंक्चर प्रूफ कन्टेनर उपलब्ध थे। किसी भी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत बचाव उपकरण धारण नहीं किया गया था। बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार नही भरे जा रहे थे। स्वास्थ्य केन्द्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नही है। स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकतर कर्मीयों को बायो मेडिकल बेस्ट मैनेजमेन्ट की समुचित जानकारी नही है।	Colour Coded Bins की उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया। स्वास्थ्य केन्द्र को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। सम्बंधित स्टाफ को बायोमेडिकल वेस्ट की लाग बुक नियमानुसार भरे जाने हेतु निर्देशित किया गया। बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से आयोजित कराने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बंधित स्टाफ एवं चिकित्सा अधीक्षक
मातृत्व स्वास्थ्यः–		
प्रसव कक्षः– पी0पी0एच0के प्रबन्धन के बारे में स्टाफ नर्सों को जानकारी नहीं थी। रजिस्टर के अन्त में संक्षिप्त जानकारी प्रपत्र के बारे में उपस्थित स्टाफ नर्सो को भी उचित जानकारी नहीं थी। प्रसव कक्ष में समुचित प्रोटोकॉल प्रदर्शित नही था। हाई–रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं की जा रही थीं।	एम0एन0एच0 टूल का अध्ययन करने व एस0बी0ए0 प्रोटोकॉल पोस्टर्स आदि लगवाने का सुझाव दिया गया। प्रत्येक माह के अन्त में माह की रिपोर्ट का अंकन करने हेतु निर्देशित किया गया साथ ही जानकारियॉ प्रदान की गईं। लेबर रूम स्टाफ को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के विषय में बताया गया और इसके रिपोर्टिंग से क्या लाभ है उसके विषय में बताया गया एवं हाईरिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित एवं उनका अभिलेखीकरण करने हेतु कहा गया।	लेबर रूम स्टाफ
रेफरल सिस्टम व्यवस्थित रूप से नहीं पाया गया।	रेफरल सिस्टम को सुदृढ़ किये जाने हेतु सुझाव दिया गया। रेफरल इन व आउट के रिकार्ड रखने की जानकारी दी गई।	लेबर रूम स्टाफ
जे0एस0एस0के0 के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन का साईन बोर्ड समुचित प्रदर्शित नही था।	जे0एस0एस0के0 डाईट के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की साईन बोर्ड समुचित प्रदर्शित कराने का सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
बी.एच.टी./केसशीट पूरी नहीं भरी जा रही थी।	तत्काल बी.एच.टी. के सभी कॉलमों को समझा कर उनको पूर्ण रूप से भरने हेतु कहा गया ताकि भविष्य में यदि मरीज को कुछ समस्या होती है तो उसे बी. एच.टी. द्वारा सहायता दी जा सकती हैं।	लेबर रूम स्टाफ
पार्टोग्राफ का प्रयोग नही किया जा रहा था।	पार्टोग्राफ का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।	लेबर रूम स्टाफ

प्रसव कराने वाले स्टाफ एस0बी0ए0 में प्रशिक्षित नही थे।	प्रसव कक्ष में प्रसव कार्य एस0बी0ए0 प्रशिक्षत ए0एन0एम0 द्वारा प्रसव कराया जाये।	
ब्लीचिंग पाउडर घोल का प्रयोग किया जा रहा था।	–	–
प्रसव कक्ष में पल्स ऑक्सीमीटर अनुपलब्ध था।	पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक
बाल स्वास्थ्यः–		
टीका करण कक्ष के बाहर प्रचार–प्रसार सम्बन्धी प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। समस्त फ्रिज कार्य करते हुए पाये गये तथा उनमें वैक्सीन उपयुक्त प्रकार से रखी हुई पाई गई। लागबुक मेण्टेन थीं। विटामिन–K उपलब्ध था। डिलेवरी रजिस्टर में वजन के कालम में एच0बी0एन0सी0 कार्यक्रम के अर्न्तगत लो–वर्थ बेबी का फालोअप नही किया जा रहा है।	आई0ई0सी0 सामग्री को यथा स्थान पर प्रदर्शित किया जाये। भ्रमण दल द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे वच्चो का एच.बी0एन0सी0 कार्यक्रम के माध्यम से आशा द्वारा 7 फालोअप कराना सुनिश्चित किया जाये।	चिकित्सा अधीक्षक सम्बन्धित स्टाफ / BCPM
परिवार नियोजन–		
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 में 02 स्टाफ नर्स प्रशिक्षित है, परन्तु उपकरण के अनुपलब्धता के कारण सेवा नही दी जा रही हैं	तत्काल पी0पी0आई0यू0सी0डी0 उपकरण क्रय किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
कण्डोम बाक्स लगा था। किन्तु कण्डोम भरे हुए नहीं पाये गये।	कण्डोम बाक्स प्रतिदिन भरने का सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप के रिकार्ड सही प्रकार से मेण्टेन नहीं किये जा रहे हैं। फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन कई जगह नहीं भरा था।	पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन फालोअप की वास्तविक तिथि का अंकन किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	सम्बन्धित स्टाफ
अन्तरा स्टॉक आउट है।	भ्रमण दल द्वारा अन्य स्वास्थ्य इकाई से समन्वय कर अन्तरा की उपलब्धता सुनिश्चित करानें हेतु सुझाव दिया गया।	फार्मासिस्ट व चिकित्सा अधीक्षक एवं जिला प0क0 नोडल
पी0पी0आई0यू0सी0डी0 इन्सर्शन हेतु सेवाप्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन व क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नियमित रुप से नहीं हो रहा है।	सेवाप्रदाताओं व लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन व क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नियमित रुप से किये जाने हेतु सुझाव दिया गया।	चिकित्सा अधीक्षक व BAM
नसबन्दी सेवाओं हेतु फिक्स डे आउटरीच सर्विसेज का आयोजन नही किया जा रहा है। एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 का उपयोग नही किया जा रहा हैं।	भ्रमण दल द्वारा मौके पर ही एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 का उपयोग सुनिश्चित कराया गया।	चिकित्सा अधीक्षक
आर0के0एस0के0 कार्यक्रम		
किशोरी सुरक्षा योजना के अर्न्तगत निशुल्क सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण नही किया जा रहा है। प्राप्त फिडबैक के अनुसार सेनेटरी नैपकीन को ए0बी0एस0ए0 को प्राप्त करा दिया जाता है एवं उन्ही के द्वारा वितरण भी किया जाता है।	सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये।	चिकित्सा अधीक्षक / जिला नोडल आर0के0एस0के0
आर.बी.एस.के.टीमः– सेशन साइट – प्राथमिक स्कूल, कछवा बाजार।		
साइट पर कुल 36 बच्चे पंजीकृत है जिनमें से 11 बच्चे मौके पर उपस्थित थे जिनका टीम द्वारा स्क्रीनिंग किया गया। उक्त 11 बच्चे में से 01 बच्चा रेफर किया गया। आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा मुवमेन्ट रजिस्टर नही भरा जा रहा था। सभी उपकरण उपलब्ध थे। माइक्रोप्लान एवं रजिस्टर उपलब्ध था व भरे जा रहे थे। आर0बी0एस0के0 दल के वाहन में जी0पी0एस0 लगा हुआ था एवं टैक्सी परमिट भी था।	मूवमेन्ट रजिस्टर भराना सुनिश्चित की जाये।	बी0पी0एम0 / चिकित्सा अधीक्षक
आर.बी.एस.के.टीमः– सेशन साइट – प्राथमिक स्कूल, उमरी, रामपुर।		
साइट पर कुल 29 बच्चे पंजीकृत है जिनमें से 21 बच्चे मौके पर उपस्थित थे जिनका टीम द्वारा स्क्रीनिंग किया गया। आर0बी0एस0के0 टीम द्वारा मुवमेन्ट रजिस्टर नही	मूवमेन्ट रजिस्टर भराना सुनिश्चित की जाये।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / बी0पी0एम0 / एच0ई0ओ0 / डी0ई0आई0 सी0 मैनेजर

भरा जा रहा था। सभी उपकरण उपलब्ध थे। माइक्रोप्लान एवं रजिस्टर उपलब्ध था व भरे जा रहे थे। आर0बी0एस0के0 दल के वाहन में जी0पी0एस0 लगा हुआ था एवं टैक्सी परमिट भी था।		
कम्युनिटी प्रोसेस		
कुल 118 आशाओं के सापेक्ष कुल 110 आशाओं का चयन किया गया है। तीसरे चरण के माड्यूल 6–7 का प्रशिक्षण सीर्फ 102 आशाओं को ही प्राप्त है। विगत माह प्रति आशा औसत प्रति माह भुगतान रू 3799/– है। आशा डायरी, आशा संगनी रजिस्टर, पेमेन्ट बाउचर सभी आशाओं को उपलब्ध करा दिये गये है।	शेष आशाओं का चयन शीघ्र सुनिश्चित की जाये। शेष वी0एच0एस0एन0सी0 खाता में आशाओं की शीघ्र खाता खोला जानासुनिश्चित किया जाये।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी /बी0सी0 पी0एम0/डी0सी0पी0एम0
एच0एम0आई0एस0		
डाटा वैलिडेशन समिति की बैठक समुचित नही हो रही हैं।	डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गयी व एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के सभी सुचकांको पर हैन्ड होल्डिंग की गयी।	डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्य
नोट– भ्रमण के उपरान्त सी0एच0सी0 की टीम के साथ जिसमे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, चीफ फार्मासिस्ट, बी0सी0पी0एम0, बी0पी0एम0 एवं बी0ए0एम0 के साथ बैठक की गयी एवं आगामी तीन माह की कार्ययोजना एवं कार्यक्रमों पर चर्चा की गयी।		

वी0एच0एन0डी0 सत्र– दरियाकोर्ट, उपकेन्द्र– लक्षीपुर		
अवलोकन बिन्दु	सुझाव/कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
टीकाकरण सत्र पर माईक्रोप्लान उपलब्ध नही था। सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं आगनवाड़ी उपस्थित थीं। सत्र पर बुलावा पर्ची उपलब्ध नही थी। सत्र से लाल एवं काली पालीथीन के शार्प मैटिरियल वापस CHC पर नही आ रहे थे। आगनवाड़ी द्वारा ग्रोथ मानिटिरिंग चार्ट नहीं भरा जा रहा है। सत्र पर अद्यतन डयूलिस्ट उपलब्ध नही थे। सत्र स्थल पर किशोरियों को टी0डी0 के इन्जेक्शन नही दिये जा रहे थे एवं स्वास्थ्य से सम्बधित परामर्श भी नही दिये जा रहे थे। गृह भ्रमण के दौरान टीकाकरण न करवाने वाले घरों का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान संज्ञान में आया कि टीकाकरण के उपरान्त प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों का टीकाकरण नही कराया जा रहा है।	बी0सी0पी0एम0 एवं ए0एन0एम0 को सत्र पर माईक्रोप्लान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया। अतिशीघ्र जनपद स्तर से बुलावा पर्ची की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये मुख्यचिकित्साधिकारी से अनुरोध किया गया। मैटिरियल वापस CHC/PHC पर लाने के निर्देश दिये गये। आंगनवाडी को ग्रोथ मानिटरिंग चार्ट इंगित करने के निर्देश दिया गया। ए0एन0एम0 को निर्देशित किया गया कि सत्र पर अद्यतन ड्यूलिस्ट अवश्य होनी चाहिये। ए0एन0एम को निर्देशित किया गया कि किशोरियों को टी0डी0 के इन्जेक्शन ससमय अवश्य दिये जाय एवं स्वास्थ्य से सम्बधित परामर्श भी दिया जाय। ए0एन0एम को निर्देशित किया गया कि टीकाकरण उपरान्त पैरासिटामाल की गोली अवश्य प्रदान की जाय एवं प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जानकारी अवश्य प्रदान की जाय।	प्रभारीचिकिसाधिकारी ए0एन0एम0/ बी0सी0पी0एम0/डी0सी0 पी0एम0

वी0एच0एन0डी0 सत्र– अवधानपुर, उपकेन्द्र–भोजेमउ		
अवलोकन बिन्दु	सुझाव / कृत सुधारात्मक कार्यवाही	जिम्मेदारी
टीकाकरण सत्र पर माईक्रोप्लान उपलब्ध नही था। सत्र पर ए0एन0एम0, आशा एवं उपस्थित थीं। सत्र से लाल एवं काली पालीथीन के शार्प मैटिरियल वापस CHC पर नही आ रहे थे। सत्र पर अद्यतन डयूलिस्ट उपलब्ध नही थे। सत्र स्थल पर किशोरियों को टी0डी0 के इन्जेक्शन नही दिये जा रहे थे एवं स्वास्थ्य से सम्बधित परामर्श नही दिये जा रहे थे। सत्र पर वी0पी0 मशीन कियाशील नही थी। सत्र स्थल पर ए0एन0एम0 द्वारा लाभार्थियों को चार महत्तवपूर्ण संदेश नही दिये जा रहे थे।	बी0सी0पी0एम0 एवं ए0एन0एम0 को सत्र पर माईक्रोप्लान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित किया गया। सत्र से प्रयोग करनें के बाद शार्प मैटिरियल वापस CHC/PHC पर लाने के निर्देश दिये गये। ए0एन0एम0 को निर्देशित किया गया कि सत्र पर अद्यतन ड्यूलिस्ट अवश्य होनी चाहिये। ए0एन0एम को निर्देशित किया गया कि किशोरियों को टी0डी0 के इन्जेक्शन ससमय अवश्य दिये जाय एवं स्वास्थ्य से सम्बधित परामर्श भी दिया जाय। ए0एन0एम0 एवं बी0सी0पी0एम0 को सत्र अतिशीघ्र सत्र स्थल पर वी0पी0 मशीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। ए0एन0एम0 को निर्देशित किया गया कि टीकाकरण पश्चात लाभार्थियों को चार महत्तवपूर्ण संदेश अवश्य प्रदान किये जाय।	प्रभारीचिकित्साधिकारी ए0एन0एम0 / बी0सी0पी0एम0 / डी0 सी0पी0एम0

संलग्न– चेकलिस्ट।

भ्रमण के उपरान्त जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के समस्त ब्लॉक के अधीक्षक / प्रभारी चिकित्साधिकारी, बी0पी0एम0, बी0सी0पी0एम0, बी0ए0एम0 तथा डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के अतिरिक्त जनपदीय नोडल चिकित्साधिकारी एवं जिला कार्यकम प्रबंधक, डी0सी0पी0एम0, जिला लेखा प्रबंधक, जिला समन्वयक–अर्बन हेल्थ तथा जिला क्वालिटी कन्सल्टेन्ट के साथ बैठक किया गया एवं भ्रमण में पायी गयी कमियों से अवगत कराया गया। साथ ही जिला रैंकिंग एवं वित्तीय प्रगति पर भी चर्चा की गयी।

इस कम में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा आश्वाशन दिया गया कि वे गैप को 01 माह में पूर्ण करा देगे तथा इकाईवार पायी गयी कमियों के साथ अन्य सभी स्वास्थ्य इकाईयों पर भी सुधारात्मककार्यवाही की जायेगी

Satyam
सत्य प्रकाश
(कार्यकम समन्वयक, आर0आई0)

04/09/2019
मनीष कुमार सोनी
(कन्सल्टेंट,परिवार नियोजन)

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद–प्रतापगढ़ ।

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / प्रतापगढ़ / 2019–20 / दिनांकः 9 .09.2019

विषयः– राज्य स्तरीय दल द्वारा 26 से 28 अगस्त 2019 तक किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया एस0पी0एम0यू0 कार्यालय पत्र सं0 SPMU/NHM/M&E/2019-20/18/2867-2 दिनांक 01-07-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके क्रम में, राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 26 से 28 अगस्त 2019 तक जनपद प्रतापगढ़ की चिकित्सा इकाईयों का सहयोगात्मक पवर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद की चिकित्सा इकाईयों का स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भौतिक एवं वित्तीय भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः **पर्यवेक्षण आख्या–**

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

5056-4

पत्रांकः–एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मकपर्यवेक्षण / प्रतापगढ़ / 2019–20 / तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, प्रयागराज मण्डल।
2. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक / अनुभागाध्यक्ष, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
3. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, प्रयागराज मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, प्रतापगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 वेद प्रकाश)
मण्डलीय नोडल–प्रयागराज